राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 51/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर।		1 भीकी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल हाल निवासी पीएमटी कॉलोनी नागौर 2 गीता पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल 3 नेनी पत्नी मंछाराम (फौत) के कायम मुकाम 3/1 संग्राम पुत्र मंछाराम 3/2 दिनेश पुत्र मंछाराम निवासी बुढी (अर्जुनपुरा) तहसील व जिला नागौर 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 5 उप पंजीयक नागौर

वाद बाबत घोषणा खातेदारी बंटवाडा, खेताय
दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 15.07.2016

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा मौजा बरणगांव मे रहते चले आये है उक्त खेताय पहले वादी के दत्तक पिता स्व. देवाराम पुत्र स्वरूपराम की खातेदारी में रहे थे। मुतदाविया खेतो के अलावा हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 16.14 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 14.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 482 रकबा 9.15 बीघा भी वादी के दत्तक पिता देवाराम की खातेदारी के रहे थे। मगर उक्त खेताय स्व. देवाराम द्वारा निर्मला देवी पत्नी हनुमानराम को जरिये बेचान दिनांक 21.02.2004 को हस्तान्तरण कर दिये थे, जिससे उक्त खेताय वर्तमान में निर्मला देवी की खातेदारी मे दर्ज है।

2 यह है कि, मुतदाविया खेत हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का रेकर्ड में गलत इन्द्राजी हो गयी, जिससे दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा मुतदाविया दोनो खेतायो पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 गांव बरणगांव में निवास करती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपना नाम रेकर्ड में होने का गलत एवं नाजायज फायदा उठाने के लिए बेचान अथवा किसी तरह से हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से स्थाई व्यादेश का वाद भी पेश करना आवश्यक हो गया है।

3 यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्व. देवाराम की पुत्रियां रही है मगर मुतदाविया भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने कोई बंट न तो कभी क्लेम किया और न ही उसके बंट रखा गया है क्योकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को चल सम्पति बंट में दे दी गयी थी अर्थात अचल सम्पति खेताय के बदले नगद राशि अदा कर दी गयी थी जिससे अब मुतदाविया खतायो में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का कोई हक हकूक नही रहा है।

4 यह है कि, बिनायदावा हक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के उत्पन्न हुआ

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. नागौर

जब मुतदाविया खेताय खसरा नम्बर 490 व 492 के रेकर्ड में गलत इन्द्राजी हो गयी थी, तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खेताय पर स्वयं अपना गलत रूप से हक जताना शुरू कर दिया जाने लगा और गलत रूप से मुतदाविया खेतायो को हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से बमुकाम बरणगांव तहसील नागौर में पैदा हुआ जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है एवं अन्दर मियाद है।

5 यह है कि, राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार नागौर को पक्षकार बनाया जा रहा है।

6 यह है कि, इश्तदुआ वादी है कि :–

1. यह है कि, खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा व हाल खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा मौजा सरहद बरणगांव वादी के अकेले के खातेदारी के घोषित करावे, इस बाबत राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करावे।

2. यह है कि, खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा मौजा बरणगांव में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई व्यादेश के पाबंद कराया जावे कि उक्त खेताय में वादी के कब्जे काश्त में न तो कोई हस्तक्षेप करे न ही अन्य किसी से करावे।

3. यह है कि, खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा मौजा बरणगांव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबंद कराया जावे कि उक्त खेताय किसी तरह से हस्तान्तरण, बेचान न करे न किसी से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण को तामील साधारण सम्मन से नही होने वे उनके सम्मन जरिये रजिस्टर्ड AD से भिजवाये गये थे। मगर बावजूद निश्चित समय पर उपस्थित नही होने से दिनांक 13.04.2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादी स्वयं एवं महिपाल के बयान करवाये एवं वाद के दस्तावेजी सबूत में नकल खतौनी पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा व हाल खसरा नम्बर 492 रकबा 8.07 बीघा मौजा बरणगांव अकेले वादी के खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई व्यादेश के पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल हस्तक्षेप नही करे।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 15.07.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :—

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर।		1 भीकी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल हाल निवासी पीएमटी कॉलोनी नागौर 2 गीता पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल 3 नेनी पत्नी मंछाराम (फौत) के कायम मुकाम 3/1 संग्राम पुत्र मंछाराम 3/2 दिनेश पुत्र मंछाराम निवासी बुढी (अर्जुनपुरा) तहसील व जिला नागौर 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 5 उप पंजीयक नागौर

दावा राजस्व मुकद्दमा 51/2014 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....
व हाजरी...मिनजानिब मुद्दई व ....
....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि खेताय हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 10.10 बीघा व हाल खसरा नम्बर 49[illegible] रकबा 8.07 बीघा मौजा बरणगांव अकेले वादी के खातेदारी का घोषित किया जाता है।
.... लीज...
मुबलिक...बाबत्.................................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.................................को अदा करें।

बसील्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....15.............माह....07..............
..सन् 20.16.........

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सावूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		